दिनांक 23.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 23/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय का भ्रमण व महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की वेबसाइट का शुभारम्भ–

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, द्वारा आज दिनांक 23.07.2021 को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के लखनऊ स्थित मुख्यालय का भ्रमण व निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी.एस.ओ. श्री रवि जोसफ लोक्कू , अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन श्रीमती नीरा रावत, पुलिस उपमहानिरीक्षक 1090 श्री रवि शंकर छबि, पुलिस अधीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन श्रीमती अलंकृता सिंह, राज्य रेडियो अधिकारी श्री राघवेन्द्र द्विवेदी तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक द्वारा वीमेन पावर लाइन–1090 की कार्यप्रणाली को समझते हुए तथा कालटेकिंग, काउन्सलिंग, एफ0एफ0आर0 (फेमिली, फ्रेन्ड्स व रिलेटिव काउन्सलिंग) व फीडबैक सेक्शन का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित कर्मियों से वार्ता की गयी एवं उन्हे पीड़िताओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखते हुए प्रभावी समाधान करने तथा पीड़िता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होने तक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा दर्ज की जा रही शिकायतों के प्रकार, काउन्सलिंग व एफ0एफ0आर0 तथा पीड़िताओं द्वारा दिये जा रहे फीडबैक के बारे में भी जानकारी ली गयी।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा ''सेफ सिटी परियोजना'' के अन्तर्गत 1090 में हुए तकनीकी उन्नयन का भी निरीक्षण किया गया जिसमें साइबर बुलिंग की शिकायतों के निस्तारण हेतु स्थापित साइबर फोरेन्सिक लैब तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का

विश्लेषण करने हेतु स्थापित डेटा एनालिटिक्स सेन्टर व 1090—यूपी 112 इन्टीग्रेशन सेक्शन का निरीक्षण तथा जीवन्त प्रदर्शन को भी देखा गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा वीमेन पावर लाइन—1090 के नवीन प्रयासों जैसे— घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं हेतु स्थापित आनॅलाइन फेमिली काउंसलिंग सेल एवं पीड़िताओं के संतुष्टि दर को जानने हेतु यूनीसेफ के सहयोग से की जा रही तृतीय पक्ष मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी देखा गया तथा सम्बन्धित कर्मियों से वार्ता की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा पुलिस महानिदेशक को वीमेन पावर लाइन में कर्मचारियों के कल्याण हेतु शुरू किये गये नवीन प्रयासों जैसे— बच्चों की देख—रेख हेतु स्थापित क्रैच, कर्मचारियों के तनाव को दूर करने हेतु योगा क्लास, सप्ताह में 02 बार चिकित्सीय परामर्श एवं मेडिकल कैम्प की व्यवस्था— के बारे में भी अवगत कराया गया।

परिसर स्थित सभागार में वीमेन पावर लाइन—1090 द्वारा पुलिस महानिदेशक को आउटरीच प्रोग्राम के तहत किये जा रहे कुछ कार्यक्रमों जैसे— नुक्कड़ नाटक एवं बहुभाषी लघु फिल्मों का प्रदर्शन की कुछ झलकियां दिखायी गयीं।

पुलिस महानिदेशक, महोदय द्वारा एक नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। इस वेबसाइट में तीन विशिष्ट सुविधायें 1—चैट सर्विस 2—ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा 3—शिकायत की स्थिति जानना, प्रदान की गयी है। यह वेबसाइट प्रदेश की महिलाओं के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी।

मुख्यालय
महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

SUPERVISOR

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
की
वेबसाइट का लोकार्पण
द्वारा
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
की
वेबसाइट का लोकार्पण
द्वारा
श्री मुकुल गोयल, आई.पी.एस
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
- महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) सभागार, 1090 चौराहा, लखनऊ

जनपद आगरा/थाना कमलानगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 किलो 02 ग्राम सोने के आभूषण**
- **63 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद**

दिनांक 23.07.2021 को थाना कमलानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनोहरपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सन्तोष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की 01 किलो 02 ग्राम सोने के आभूषण, 63 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमलानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2021 धारा 395/397/412/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कमलानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सन्तोष निवासी नगला पचिया हुमायूँपर सुहागनगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट की 01 किलो 02 ग्राम सोने के आभूषण।

2–63 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल बिना नम्बर।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 23.07.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 05 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 404/2020 धारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुनील निवासी कटरा थाना गभाना जनपद अलीगढ़

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 05 हजार रूपये नगद।

जनपद देवरिया/थाना बरियारपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.07.2021 को थाना बरियारपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चकियवा ढ़ाला के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरेराम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बरियारपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 79/2021 धारा 3(1) गैंगैस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हरेराम निवासी डिहवा टोला थाना बरहज जनपद देवरिया।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

- **फिंगर प्रिंट क्लोन बनाकर बैंक खातो से रूपये निकालने वाले 11 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **53 मोबाइल फोन, 34 सिम, 26 एटीएम कार्ड, 53 पासबुक, 48 चेकबुक, 213 फिंगर प्रिंट क्लोन, 04 फिंगर स्कैनर, 04 पेन ड्राइव, लैपटाप, मानीटर, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि**
- **01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 23.07.2021 को जनपद गोरखपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तमकुही कोठी के पास चेकिंग के दौरान फिंगर प्रिंट क्लोन बनाकर बैंक खातो से रूपये निकालने वाले 11 अभियुक्तों 1—राघवेन्द्र 2—सोनू कुमार 3—मुकेश कुमार 4—विकास उर्फ विक्की 5—सैय्यद जावेद अली 6—शंशाक उर्फ गोलू 7—दीपेन्द्र 8—सागर 9—राहुल 10—अमित 11—आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 09 लाख 10 हजार रूपये नगद, 53 मोबाइल फोन, 34 सिम, 26 एटीएम कार्ड, 53 पासबुक, 48 चेकबुक, 213 फिंगर प्रिंट क्लोन, 04 फिंगर स्कैनर, 04 पेन ड्राइव, लैपटाप, मानीटर, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि, 01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो विभिन्न माध्यमों से आधार कार्ड नम्बर व अंगूठे का प्रिंट प्राप्त कर अंगूठे का फिंगर प्रिंट क्लोन बनवा कर बैंक खातो में पैसे ट्रान्सफर कर एटीएम से पैसे निकाल लेते थे।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राघवेन्द्र निवासी दाउदपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।

2—सोनू कुमार निवासी मोहरीपुर थाना चिलुवाताल जनपद गोरखपुर।

3—मुकेश कुमार निवासी अचियापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

4—विकास उर्फ विक्की निवासी जोन्हिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर।

5—सैय्यद जावेद अली निवासी जाफरा बाजार रानी का टोला थाना तिवारीपुर।

6—शंशाक उर्फ गोलू निवासी बुढ़नपुरा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

7—दीपेन्द्र निवासी पहाडी मोहल्ला थाना नैतनवा जनपद महराजगंज।

8—सागर निवासी जायसवाल मोहल्ला थाना नौतनवा जनपद महराजगंज।

9—राहुल निवासी महेन्द्रनगर वार्ड नं0—13 थाना नवतनवा जनपद महराजगंज।

10—अमित निवासी तिवारीपुर थाने के सामने थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।

11—आशीष निवासी देवापार थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–09 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2–53 मोबाइल फोन, 34 सिम, 26 एटीएम कार्ड, 53 पासबुक, 48 चेकबुक, 213 फिंगर प्रिंट क्लोन, 04 फिंगर स्कैनर, 04 पेन ड्राइव, लैपटाप, मानीटर, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि।

3–01 चार पहिया वाहन।

4–01 दो पहिया वाहन।

जनपद महराजगंज/थाना घुघली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.07.2021 को थाना घुघली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसंतपुर मठिया की तरफ से मंगलपुर पटखौली की ओर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–रामू 2–दिलीप को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.06.2021 को थाना घुघली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना घुघली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना घुघली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रामू निवासी अन्धया बाजारी टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर।

2—दिलीप निवासी अन्धया बाजारी टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद।

1—02 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **10 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 22.07.2021 को थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहपुर बुखरारी रोड़ के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—दीपक कुमार 2—मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा, 10 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी श्रीपति पुरम बालाजी पुरम थाना हाई—वे जनपद मथुरा।

2—मनोज निवासी बिलौद कामा भरतपुर राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—10 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन।

3—01 चार पहिया वाहन।

जनपद गोण्डा/थाना इटियाथोक

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **500 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 23.07.2021 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धर्मेई रोड के पास से मादक पदार्थ तस्कर नजबुद्दीन उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना इटियाथोक पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नजबुद्दीन उर्फ राजा निवासी बैजपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—500 ग्राम अवैध चरस।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना असोथर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा एवं 15—15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना असोथर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में अभियुक्त 1—राजू 2—दीपू 3—गिलकानी को आजीवन कारावास की सजा एवं 15—15 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद वाराणसी/थाना लोहता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष जज पॉक्सो द्वितीय जनपद वाराणसी द्वारा थाना लोहता पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/343/376(2) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त राजेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————————